न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक– R. 3597-III/14

अनिल कुमार गुप्ता तनय श्री वंशगोपाल गुप्ता उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ———————— आवेदक

बनाम

1. रामकृपाल तनय स्व0 जमुना बानी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण–

   (क) श्रीमती डोलमती बेवा पत्नी स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 51 वर्ष,

   (ख) अग्रनाथ तनय स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 30 वर्ष,

   (ग) देवी प्रसाद तनय स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 28 वर्ष,

   (घ) संतोष कुमार तनय स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 26 वर्ष,

   (ङ.) सुनील कुमार तनय स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 22 वर्ष,

   (च) श्यामा पुत्री स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 32 वर्ष,

   (छ) अनीता पुत्री स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 30 वर्ष,

   (ज) जानकी पुत्री स्व0 रामकृपाल गुप्ता उम्र– 24 वर्ष,

   सभी निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

2. विन्ध्यवासिनी तनय स्व0 जमुना बानी निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

3. रामगोपाल तनय स्व0 जमुना बानी निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

4. वंशगोपाल तनय तनय स्व0 जमुना बानी निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

5. जमुनाबानी तनय स्व0 बोधई बानी (मृतक)– वसीयतकर्ता

———————— अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3597–तीन/2014 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2015	आवेदक अभिभाषक श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन एवं इस न्यायालय में निगरानी पेश कर दी है। एक ही आदेश को दो भिन्न–भिन्न न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण में आवेदन पेश कर अनुरोध किया गया कि वे प्रकरण को आगे संचालित नहीं कराना चाहते हैं अतः प्रकरण वापस किया जाये। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 136/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 9–10–14 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन पेश कर दिया है तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9–10–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में भी निगरानी पेश कर दी। एक आदेश के विरूद्ध दो अलग–अलग न्यायालयों एकसाथ अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना विधिअनुसार नहीं है। अतः यह निगरानी विधिअनुकूल प्रस्तुत नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	